

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद

संख्या.....65.....

वर्ष 20...23...

विविधवाद/ प्रथम अपील

वाद प्रारंभ की तिथि
21/12/2023.

बनाम

अपीलकर्ता श्रीमती संगीता कुमारी,
घरा० - बलर, पो० - समूडीह,
था० - देवीपुर, जिला - देवघर।
प्रतिवादी जिला समाज कल्याण पदा०,
देवघर।

| आदेश की तिथि | हस्ताक्षरयुक्त आदेश | कार्यालय अभ्युक्ति |
|--------------|---------------------|--------------------|
| | | |

आदेश की
तिथि

हस्ताक्षरयुक्त आदेश

कार्यालय
अभ्युक्ति

वाद सं0-65 / 2023


परिवादी श्रीमती संगीता कुमारी, ग्राम-बलथर, पो0-रामूडीह,
थाना-देवीपुर, जिला-देवघर का परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है।

परिवादी द्वारा प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) की राशि
दो वर्ष बाद भी नहीं मिलने की शिकायत की गई है।


प्राप्त परिवाद पत्र पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का
निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक-11.01.2024 को
निर्धारित की जाती है।

प्रस्तुत मामले में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर को
प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए
उक्त सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं
जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर को सशरीर आयोग कार्यालय में
उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक-11.01.2024 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।


(शबनम परवीन)

सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।


(हिमांशु शेखर चौधरी)

अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।